न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/128/2021	2021/213	08.10.2021	24.12.2025

1.ग्यारसा पुत्र भैरू जाति मीना,
2.ग्यारसी पत्नि छोटू जाति मीना,
3.बाबूलाल पुत्र छोटू जाति मीना,
निवासीयान नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1.बद्री पुत्र रामपाल,
2.कन्हैया पुत्र रामपाल,
3.पूरणचन्द पुत्र रामपाल,
जातियान रैगर निवासीयान नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध तहसीलदार थानागाजी निर्णय दिनांक 28.06.2019 मु.नं. 1/2019 अंतर्गत धारा 183बी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—
01. श्री के.के. शर्मा —वकील प्रार्थीगण
02. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

यह अपील, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, थानागाजी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2019 जो कि राजस्व मुकदमा संख्या 01/2019 (अन्तर्गत धारा 183—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) में पारित किया गया था, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 28.06.2019 मुकदमा नंबर 1/2019 की जानकारी अपीलाण्टस को पूर्व में ना होने के कारण समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी, क्योंकि उक्त निर्णय तहत अदालत द्वारा अपीलान्टस की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। दिनांक 15.08.2019 को रैरपाडेन्टस द्वारा हम अपीलान्टस को मौखिक रूप से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देकर हम अपीलान्टस के कब्जे की भूमि में मजाहमत पैदा कर हमसे कब्जा हटाने के लिए कहा गया, तो सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होने पर हम अपीलान्टस ने दिनांक 16.08.2019 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल निर्णय प्राप्त करने के लिए तहत अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया, जो नकल दिनांक 16.08.2019 को तैयार होकर दिनांक 26.08.2019 को सांयकाल प्राप्त हुई। अपील सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 15.08.2019 से अन्दर अवधि पेश है। निर्णय दिनांक 28.06.2019 से दिनांक 15.08.2019 तक अपील पेश करने में जो देरी हुई है. वह उक्त निर्णय की जानकारी नही होने के कारण हुई है, जो कि अपीलाण्टस की नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काबिल माफी है, तथा मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हो, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नही है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टस न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 15.08.2019 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतिआवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थनापत्र जेरदफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 1.26 हैक्टर वाके ग्राम नरहढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान हैं। उक्त आराजी के सम्बन्ध में रैस्पाडेन्टस द्वारा एक प्रार्थनापत्र संख्या 1/2019 अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के समक्ष दिनांक 03.06.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थनापत्र का निर्णय दिनांक 28.06.2019 को तहत अदालत द्वारा अपीलान्टस को बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है, तथा अपीलान्टस को उक्त आराजी से बेदखल कर रैस्पाडेन्टस को पुनः कब्जा दिलाने एंव अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवादित आराजी उपरोक्त पर हम अपीलान्टस का अपने पूर्वजो के समय से आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी में हम अपीलान्टस ने अपने रिहायशी मकानात बनाये हये है। जिनमें परिवार सहित रिहायश रखते है, और मौके पर उपयोग उपभोग हर प्रकार से करते हैं। हम अपीलान्टस का नाम खसरा नम्बर परिवर्तनशील में दर्ज होता चला आ रहा है। विवादित आराजी वक्त आवंटन खाली नही थी, और ना आवंटन सूची में आरक्षित भूमि थी। और ना रैस्पाडेन्टस भूमिहीन हैं, और ना ही उनका विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व या आवंटन उपरांत आज तक कोई कब्जा रहा है। हम अपीलान्टस आज भी विवादित आराजी पर मौके पर काबिज हैं रैस्पाडेन्टस गैरकाबिज एंव गैरवास्ता हैं। जिनको आवंटन उपरांत आज तक विवादित आराजी का मौके पर कब्जा नही दिया गया हैं, और ना ही उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। ना ही भू–आवंटन समिति के समक्ष पेश आवेदन में उन्होने विवादित आराजी का अंकन किया है। रैस्पाडेन्ट सं.1 ने रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में मात्र कागजी आवंटन किया हैं, और निर्णय पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। आवंटन फर्जी है। आवंटी के हक में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी/खातेदारी का इंतकाल तस्दीक कर अंकन किया है। विवादित आराजी को खिलाफ कानून मौका व साबिक राजस्व रिकार्ड चारागाह से सिवायचक दर्ज कर गैरकानूनी व मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। इसलिए आलौच्य निर्णय से हम अपीलान्टस के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए अदालत श्रीमान में अपील पेश की जा रही है। हम अपीलान्टस को काबिज होने के नाते विवादित आराजी का प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। तथा आलौच्य निर्णय जारी रहने से रैस्पाडेन्ट्स की उपेक्षा हम अपीलान्टस को बेजा हानि व परेशानी का सामना करना पडेगा।

अपीलान्टस का विवादित आराजी पर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उससे पूर्व से पहले अपीलान्टस के बुजुर्गो का कब्जा काश्त था, और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है। चूंकि विवादित आराजी में अपीलान्टस हित निहित हैं, और अपीलान्टस प्रभावित पक्षकार है। जिनके द्वारा आंवटन को निरस्त कराने की कार्यवाही करने के लिए यह प्रार्थनापत्र उजरदारी पहले से अदालत श्रीमान में पेश किया हुआ है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। आलौच्य निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस का विवादित आराजी पर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उससे पूर्व से पहले अपीलान्टस के बुजुर्गों का कब्जा था, और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है, कि जो आराजी कब्जे व मौके के खिलाफ तथा विधि विरुद्ध तरीके से आलौच्य आवंटन आदेश पारित कर रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द को आंवटित कर उनके हक में इंतकाल गैर खातेदारी/खातेदारी तस्दीक कर उनके हक में राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी/खातेदारी का अंकन कर दिया गया है। निर्णय तहत अदालत न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ, विधि विरुद्ध एंव तथ्यों व मौके व कब्जे के विपरीत हैं, जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित्त आराजी पर अपीलान्टस बुजुर्गों का कब्जा सवंत 2011 से पूर्व से ही चला आ रहा था, जिस कारण अपीलान्टस के बुजुर्ग विवादित आराजी के कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे। अपीलान्टस के बुजुर्गो एंव उनके मरने के बाद अपीलान्टस का कब्जा बदस्तूर चलता रहा है। वर्तमान में भी अपीलान्टस का कब्जा है। लेकिन बिना किसी आदेश के विवादित आराजी को चारागाह से सिवायचक लगानी अंकित कर दिया, जो गत एंट्री के खिलाफ गलत कर दिया, जबकि अपीलान्टस के बुजुर्गों के नाम ही अंकित करना चाहिये था। और उसके बाद खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी का आवंटन आंवटन कमेटी

आ... (प्रथम) ...अलवर (राज)

द्वारा रेस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एवं पूरणचन्द को कर दिया गया। और उनके हक में इंतकाल गैर खातेदारी/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी/खातेदारी का अंकन कर दिया। जबकि आंवटन के समय भी अपीलान्टस के बुजुर्गो का ही कब्जा चला आ रहा था। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। सिवायचक लगानी का जो इन्द्राज हो गया हैं, इसकी जानकारी अपीलान्टस को नही थी, क्योंकि अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित काश्तकार व्यक्ति है। जो यह समझे हुये थे, कि विवादित आराजी उनके नाम ही खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

विवादित आराजी पर रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द का आवंटन से पूर्व या आवंटन उपरांत आज तक कभी भी कब्जा नही रहां और ना ही वह वर्तमान में गौके पर काबिज है। ना कार्य काश्तकारी कर रहे है। लेकिन उसके बावजूद भी रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द ने कर्मचारियान आवंटन समिति से मिलकर प्रार्थनापत्र पर जो उनके द्वारा दिनांक 20.09.1975 को पेश किया गया था, पर गौके के खिलाफ कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करवाकर आंवटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश करवायी, जिसका अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी होता है, उपखण्ड अधिकारी ने भी बिना मौके की जांच किये, और बिना राजस्व पूर्व एंव उसके बाद का निरीक्षण किये दिनांक 20.09.1975 को बिना आंवटन सलाहाकर समिति के कोरम के केवल एक–दो सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर आंवटन करने का आदेश प्रदान किया। यह आदेश आवंटन सलाहाकार समिति पूर्ण कोरम के अभाव में होने के कारण एंव आंवटन से पूर्व विवादित्त आराजी पर अपीलान्टस जो काबिज हैं, उन्हें बिना नोटिस दिये, यानि सुनवाई का अवसर दिये, बिना और बिना गौके की जांच किये, पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

मौके पर रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द का कब्जा नहीं है, बल्कि अपीलान्टस का कब्जा है। श्रीमान मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवा सकते है। ऐसी आंवटन कमेटी द्वारा जो आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1975 को पारित किया है, और जिस आंवटन आदेश की अनुपालना में रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है, मौके, कब्जे के खिलाफ व विधि विरूद्ध किये गये है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी के बारे में सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किये, और ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तु स्थिति के बारे में कोई जानकारी की गई, तथा ना ही अपीलान्टस जो कि विवादित आराजी पर काबिज है, उन्हे नोटिस देकर सुना गया, तथा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आंवटन की आज्ञा पारित की गई है। तथा वक्त आवंटन विवादित आराजी खाली ही नही थी। कानूनन ऐसी आराजी का आंवटन नहीं किया जा सकता। रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द द्वारा जो आवंटन के लिए आवेदन जमा कराया गया, उसमें भी विवादित आराजी का खसरा नम्बर व रकबा अंकित नही किया है। और उक्त आवंटन के बाद ना तो दखल प्राप्त किया, और ना ही उनके द्वारा काश्त की गई, ना आवंटन शर्तों की पालना की गई। बल्कि आज भी अपीलान्टस का ही कब्जा चला आ रहा है।

अपीलान्टस गरीब कृषक हैं, जिनके पारा उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी रिहायश के लिए नही है। जिस आराजी से ही अपीलान्टस व उनके परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए आराजी मुतनाजा को राजस्थान सरकार के नवीन संशोधित नियमों के अनुसार अपीलान्टस अपने नाम आवंटन कराने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में रैरपांडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में हुये, विधि विरुद्ध आंवटन आदेश को निरस्त फरमाकर अपीलान्टस के हक में नियमानुसार आंवटन किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी काबिल काश्त नहीं है, बल्कि मौके पर काफी अरसे से आबादी बनी हुई है, तथा मंदिर मौके पर बना हुआ है। रैस्पाडेन्टस बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में गैरकानूनी आवंटन किया गया है।

रैस्पाडेन्टस ने उक्त विवादित आराजी के पास में स्थित करीब 18 बीघा भूमि पर उक्त आवंटन की आड में नाजायज कब्जा कर रखा हैं, तथा फर्जकारी करके दो जगह जमीन हथियाना वाहते हैं, तथा रैरपाडेन्ट ने तहत अदालत में गलत तथ्य दर्ज करते हुये, प्रार्थनापत्र पेश कर हम अपीलान्टस को र्स्वण जाति का सदस्य होना दर्ज किया है, जबकि हम अपीलान्टस अनुसूचित जन जाति आदिवासी मीणा समाज के लोग हैं, जिन पर धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय खिलाफ, कानून मौका राजस्व रिकार्ड साक्ष्य प्रतिपादित्त न्यायिक सिद्धान्तों एंव नैसर्गिक न्याय के

नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एंव भू आवंटन नियमों के विपरीत पारित किया है। जिससे अपारत किये जाने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर निर्णय न्यायालय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 28.06.2019 मुकदगा नंबर 1/2019 निरस्त फरमाया जावे। तथा रैस्पाडेन्टस का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को रैस्पाडेन्टस से दिलाया जावे।

वकील रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में कथन किया गया है कि हम रेस्पो0 की आराजी ग्राम नरहठ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० मे खाता संख्या 72 आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 1.2600 हैक्टेयर स्थित है। हम रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और अपीलाण्ट्स स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। हम रेस्पो0 के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में है पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा है। जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 72 के खसरा नम्बर 16 रकबा 1.2600 हैक्टेयर वाकै ग्राम नरहठ रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी बदरी कन्हैया पूरणचन्द पि. रामपाल जाति रैगर निवासी नरहठ की खातेदारी की भूमि है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 के अनुसार प्रार्थीगण ग्यारसा पुत्र भैरू मीना, ग्यारसी पत्नि छोटू, बाबूलाल पुत्र छोटू मीना जाति मीना का कब्जा पाया गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.06.2019 पूर्णतः एकपक्षीय है और अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा उनके पूर्वजों के समय (संवत 2012 से पूर्व) से चला आ रहा है और मौके पर उनके रिहायशी मकान (पाटोळ) बने हुए हैं। अपीलार्थीगण 'मीना' जाति (अनुसूचित जनजाति) से हैं। प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध है क्योंकि मौके पर पूर्व से ही अपीलार्थीगण का कब्जा था और बिना कब्जाधारियों को नोटिस दिए आवंटन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नं. 16 रकबा 1.26 हैक्टेयर के जमाबंदी (संवत 2069–72) अनुसार रेस्पोडेण्ट्स बद्री, कन्हैया आदि दर्ज खातेदार हैं। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति (रैगर) के सदस्य हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 के अनुसार मौके पर अपीलार्थीगण का अवैध कब्जा पाया गया है। कानूनन खातेदार को अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः तहसीलदार का निर्णय सही है और अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। तहत अदालत की पत्रावली एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–72 के अनुसार विवादित खसरा नं. 16 की खातेदारी स्पष्ट रूप से रेस्पोडेण्ट/प्रत्यर्थीगण (बद्री, कन्हैया, पूरण पुत्रान रामपाल) के नाम दर्ज है। कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इंद्राज को सत्य माना जाता है जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाए। अपीलार्थीगण द्वारा 1975 के आवंटन को चुनौती देने का तर्क इस संक्षिप्त कार्यवाही में स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रेस्पो0/प्रत्यर्थीगण ही हैं। पटवारी हल्का पडाकछापली की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 जो अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है, यह पुष्टि करती है कि मौके पर अपीलार्थीगण (ग्यारसा, ग्यारसी, बाबूलाल) का कब्जा है। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि: "उक्त खसरे में दो पटाव की पाटोल बनी हुई है, मौके पर खातेदार का कब्जा नहीं है, अतः पाटोल ग्यारसा आदि का होना बताया है।" यह रिपोर्ट स्वतः सिद्ध करती है कि अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि वे एक अतिचारी (Trespasser) की भांति काबिज हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना है। चूँकि प्रत्यर्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और भूमि उनके नाम दर्ज है, तथा अपीलार्थीगण बिना किसी विधिक आज्ञा के उस पर काबिज पाए गए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली का आदेश विधि सम्मत है। अपीलार्थीगण का यह तर्क कि वे भी अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं देता।

अतः समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट अतिक्रमण की पुष्टि करती है और राजस्व रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व की पुष्टि करता है। अपीलार्थीगण का कब्जा अवैध है। यह अपील सारहीन हाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, थानागाजी द्वारा मु.नं. 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)